लोक सुनवाई का विवरण

विषय :– ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार मे0 गंगोत्री लाईम्स प्रा. लिमिटेड द्वारा ग्राम मटिया, तहसील एवं जिला रायपुर स्थित मटिया लाईम स्टोन माईन के खसरा कमांक 540/1, 540/2 एवं 541 में लाईम स्टोन माईन क्षमता 25,650 टी.पी.ए. के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 05.04.2011 को आयोजित लोक सुनवाई का विवरण।

मे0 गंगोत्री लाईम्स प्रा. लिमिटेड द्वारा ग्राम मटिया, तहसील एवं जिला रायपुर स्थित मटिया लाईम स्टोन माईन के खसरा कमांक 540/1, 540/2 एवं 541 में लाईम स्टोन माईन क्षमता 25,650 टी.पी.ए. हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करने के लिये लोक सुनवाई कराने बावत् छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवेदन किया गया। दैनिक भास्कर (रायपुर संस्करण) एवं टाईम्स ऑफ इंडिया (दिल्ली संस्करण) समाचार पत्र में लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित कर दिनांक 05.04.2011 दिन मंगलवार को दोपहर 01:00 बजे शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम मटिया, तहसील धरसींवा, जिला रायपुर में सुनवाई निश्चित की गई।

दिनांक 05.04.2011 को उद्योग की लोक सुनवाई अपर कलेक्टर, जिला रायपुर श्री डोमन सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान श्री आर. के. शर्मा क्षेत्रीय अधिकारी, डॉ0 एस.के. उपाध्याय मुख्य रसायनज्ञ, तहसीलदार धरसींवा श्री मिरी, उद्योग प्रतिनिधि श्री योगेश प्रीतवानी, जे.एम. इन्फॉयरोनेट प्रा. लिमिटेड के श्री रोहित माईनकर, ग्राम पंचायत मटिया के सरपंच, मटिया तथा आस–पास के गांवों से आये हुये लगभग 75 ग्रामीणजन उपस्थित थे। कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

1. सर्वप्रथम उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया आरंभ की गई। जिन लोगों द्वारा उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किये गयें है, उनकी सूची **संलग्नक–1** अनुसार है।

2. लोक सुनवाई के आरंभ में सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला रायपुर द्वारा परियोजना के संबंध में जानकारी दी गई। तत्पश्चात उद्योग प्रतिनिधि को परियोजना के बारे में जानकारी देने हेतु निर्देशित किया गया।

उद्योग के पर्यावरण सलाहकार प्रतिनिधि जे.एम. इन्फॉयरोनेट प्रा. लिमिटेड के श्री रोहित माईनकर द्वारा विस्तृत प्रस्तुतीकरण एवं प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत किया गया। उन्होने बताया कि इस खदान का क्षेत्रफल 8.144 हेक्टेयर है एवं उत्पादन क्षमता 25650 टन प्रतिवर्ष है। यह खदान ग्राम मटिया तथा तहसील एवं जिला रायपुर। मैसर्स गंगोत्री लाइम्स प्रा. लि. एक निजी संस्था है जो कि चूना पत्थर निर्माण कार्य में लगी हुई है। इसके प्रबंध निदेषक श्री गंगाराम शर्मा है। चूना पत्थर खदान की पावर आफ एटार्नी श्री योगेश प्रितवानी, देवेन्द्र नगर रायपुर को दी गई है। उन्होने आगे बताया कि आवेदक का नाम मेसर्स गंगोत्री लाईम्स प्राईवेट लिमिटेड है। कुल खनन पट्टा क्षेत्र 8.144 हेक्टेयर है एवं उत्पादन क्षमता 25,650 टन प्रतिवर्ष है। इस परियोजना की 10 किलोमीटर की परिधी में कोई भी पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र (वन्य जीव अभ्यारण, प्राकृतिक वन, जैविक भण्डार, वन्य जीव भवन कोरीडोर/मार्ग) नहीं है। इस खदान की कुल लागत 10 लाख रूपये एवं पर्यावरण

प्रबंधन पर 3 लाख 60 हजार रूपये प्रति वर्ष व्यय किया जाना प्रस्तावित हैं। इस परियोजना में कूल 2.5 किलोलीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता है। मैनुअल ओपनकास्ट प्रक्रिया से खनन कार्य किया जाएगा। खदान में खनिज का कुल भडारण 7,17,790 टन है, खान की आयु 27 वर्ष, बेंच की उंचाई 3 मी, खदान का सामान्य भू–स्तर 281 एमआरएल, भूजल स्तर 20 से 25 मी. बीजीएल, अंतिम कार्य सीमा 269 एमआरएल है। इस खदान की गहराई 5 मी होगी। इस खदान से उत्पादन इस प्रकार होगा – प्रथम वर्ष 21,500 टन, द्वितीय वर्ष 16,900 टन, तृतीय वर्ष 22,443 टन, चतुर्थ वर्ष 22,443 टन और पंचम वर्ष में 25,650 टन होगी जो की अनुमोदित क्षमता है। उन्होने यह भी बताया कि अक्टूबर से दिसम्बर 2009 के दौरान इस खदान एव इसके 10 किलो मीटर की परिधी में पर्यावरणीय आधारभूत अध्ययन किया गया, जिसमें 10 विभिन्न गांवों में जल, वायु, ध्वनि एवं मृदा के नमूने लेकर उनका पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त उनकी लेबोरेटरी में अध्ययन किया गया एवं सभी परिणाम केन्द्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण मण्डल के मापदंडो के अनुरूप पाये गये हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन के अंतर्गत हॉल सड़कों की चौड़ाई को ध्यान में रखा जाएगा तथा नियमित जल का छिड़काव किया जाएगा। धूलीय क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को डस्ट मास्क उपलब्ध कराए जाएगें। धूल को कम करने के लिए खान ऑफिस, खान सडक तथा खान के चारों ओर हरित पट्टिका का विकास किया जायेगा, जिससे धूल कण नियंत्रित होगें। परिवहन में उपयोग होने वाले वाहनों को नियमित रूप से मेंटेनेन्स किया जाएगा। खदान के चारों तरफ गारलैण्ड ड्रैन का निर्माण किया जाएगा तथा पिट में एकत्रित हुए जल को हरित पट्टिका विकास तथा हॉल सड़कों पर जल छिडकाव के काम में लिया जाएगा। खनन प्रक्रिया से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्पन्न नहीं होगा। घरेलू अपशिष्ट जो कि ऑफिस से निकलेगा उसे सेप्टिक टैंक द्वारा सोक पिट में डाला जाएगा। खनन क्षेत्र के चारों और एवं हॉल रोडस् पर हरित पट्टिका का विकास किया जाएगा। पौधारोपण से ध्वनि प्रदूषण कम होगा है। उपकरणों का सही प्रकार से रख–रखाव किया जाएगा जिससे ध्वनि का जनन ना हो। डीजल चलित ईंजन में साइलेंसर लगाए जाऍगें जिससे घ्वनि उत्पन्न ना हो। नुकीले ड्रिल बिट्स की सहायता से ड्रिलिंग की जाएगी। जिससे ध्वनि उत्सर्जन कम हो। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में जानकारी देते हूए बताया कि खनन स्कीम की अवधि के दौरान लगभग 210 घनमीटर ऊपरी मृदा उत्पन्न होगी। खनन पट्टा क्षेत्र में ऊपरी मृदा का उपयोग वृक्षारोपण के लिए किया जायेगा। हरित पट्टिका का विकास खान आयु की समाप्ति तक कुल पट्टा क्षेत्र (8.144 हैक्टेयर) में से 2.6 हैक्टेयर क्षेत्र पर किया जायेगा। पौधारोपण सड़कों, पट्टा क्षेत्र के चारो ओर एवं खान ऑफिस में किया जायेगा। सामाजिक एवं आर्थिक विकास के संबंध में मैसर्स गंगोत्री लाइम्स प्राईवेट लिमिटेड प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करायेगा, कुल 25 व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुरूप खदान में रोजगार दिया जायेगा जिसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जायेगी। खान प्रबन्धन की आधारभूत आर्थिक जरूरतों में मदद करेगा एवं क्षेत्र में सामाजिक विकास कार्य करवायेगा। खान में कार्य करने वाले लोगों का सभी जरूरी व्यक्तिगत रक्षात्मक उपकरण उपलब्ध करायें जायेगें।

3. तत्पश्चात उपस्थित लोगों द्वारा उनके विचार व्यक्त करने की प्रक्रिया आरंभ की गई। विवरण निम्नानुसार है :–

1 श्री संतुलाल बंजारे, सरपंच ग्राम मटिया–ने कहा कि हमारा गांव मजदूर वर्ग का

गांव है, बाहर के लेबर को न लाकर यही के लोगो को रोजगार में प्राथमिकता दी जावे, खदान के चारो तरफ फेन्सिग करना चाहिये तथा रास्ता बनाया जाना चाहिये। गांव में जल की समस्या है, खदान में कार्यरत श्रमिकों के लिये पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिये।

2 श्री ताम्रध्वज वर्मा, ग्राम मटिया–ने कहा कि ब्लास्टिंग का समय निर्धारित होना चाहिए।

3 श्री सूरज टडंन, ग्राम दौंदेखुर्द–ने कहा कि हम पढे लिखे बेरोजगार है हमें खदान खुलने से रोजगार मिलेगा, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। खदान खुलनी चाहिए।

4 श्री लेखु कुर्रे, ग्राम दौंदेखुर्द–ने कहा कि हमारे बड़े बुजुर्ग यहा जाते है और उन्हें रोजगार मिलता है। इससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है।

5 श्री दिनेश खुंटे, पूर्व जनपद सदस्य ग्राम दौंदेकला–ने कहा कि शासन के मापदंड जो निर्धारित है उसका पालन करते हुए लीज़ एरिया के चारों तरफ ग्रीन लैण्ड बनाना चाहिए, वृक्षारोपण किया जाना चाहिये। रोड पर समय–समय पर पानी छिडकाव करें जिससे धूल न उड़े। छोटी ब्लास्टिंग शासन के मापदंडो के अंतर्गत हो और ब्लास्टिंग का समय निर्धारित होना चाहिये। अगर शासन के मापदंडो के अनुरूप काम करें तो इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या होगी। गांव के बेरोजगार युवकों एवं श्रमिकों को रोजगार मिलेगा।

6 श्री उत्तम वर्मा, ग्राम मटिया ने कहा कि नियमों का पालन करें स्थानीय लोगों को रोजगार दे सुरक्षा के उपाये करे, पेड़ लगाये रास्ते में पानी का छिडकाव करें ब्लास्टिंग का समय निर्धारित करे, जिससे स्थानीय निवासियों को परेशानी न हो। अगर गांव में किसी को सहायता की आवश्यकता हो तो प्रबंधन मदद करे।

7 श्री चंपालाल साहू, ग्राम लालपुर–ने कहा कि यहां काफी बेरोजगार घूम रहें हैं। खदान से स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, जिससे वे अपने मां बाप का पेट भर सके।

8 श्री भीम वर्मा, ग्राम मटिया–ने कहा कि हमारे गांव में भी काफी बेरोजगार लोग हैं। हमारे गांव में जब खदान चलाया जा रहा है तो यहां के मजदूरों को प्राथमिकता दे और बाहर से मजदूर न लायें।

9 श्री अवधराम वर्मा, ग्राम मटिया ने कहा कि मूलनिवासीयों को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिये।

10 श्री जयंत कुमार वर्मा, ग्राम मटिया–ने कहा कि जगह–जगह पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है शिकायत की गई है पर कोई कार्यवाही नहीं हुई हैं। माईनिंग विभाग को मालूम है, उनके लोग आते रहते है, पर इन्हें कोई नहीं रोकता। ब्लास्टिंग का समय निर्धारित करें एवं लाल झंडे लगाये, छोटी ब्लास्टिंग करें ताकि कोई दुर्घटना न हो।

पर्यावरण सलाहकार प्रतिनिधि जे.एम. इन्वॉयरोनेट प्रा. लिमिटेड के श्री रोहित माईनकर ने बताया कि खदान में कन्ट्रोल्ड ब्लास्टिंग की जायेगी जिसमें डिले डेटोनेटर

का प्रयोग किया जायेगा तथा सप्ताह में एक बार ब्लॉस्टिंग की जायेगी। ब्लास्टिंग का समय दोपहर 1.00 से 1.30 बजे तक का होगा। ब्लास्टिंग के पहले लाल झंडे लगाये जायेगे तथा सायरन भी बजाया जायेगा। कन्ट्रोल्ड ब्लास्टिंग से ध्वनि प्रदूषण तथा कम्पन कम होता है। यह टेक्नोलॉजी सामान्यतः बड़ी खदानों में उपयोग में लाई जाती है।

11 श्री अरविंद सिंग ठाकुर, ग्राम दौंदेकला–ने कहा खदान प्रबंधन द्वारा शासन के मपदंडों के अनुरूप खदान का संचालन किया जाना चाहिये। वृक्षारोपण, जल छिड़काव आदि की व्यवस्था होनी चाहिये तथा खदान में छोटी ब्लॉस्टिंग ही करें साथ ही ब्लॉस्टिंग का समय भी निर्धारित होना चाहिये, जिसे आने जाने वालों को कोई समस्या न हो।

तत्पश्चात अपर कलेक्टर ने कहा कि मटिया गांव की इस जनसुनवाई के माध्यम से जनसामान्य द्वारा जो विचार व्यक्त किये गये हैं, सुझाव दिये गये हैं वह पूरी तरह से दर्ज किये गये हैं तथा इसे शासन के सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रेषित किया जायेगा तथा जो भी नियमानुसार, विधिसम्मत कार्यवाही होगी, उसका पालन कराया जायेगा। तत्पश्चात उन्होंने जानना चाहा कि उपस्थित जनसमुदाय में से कोई और अपने विचार व्यक्त करना चाहता है या लोकसनुवाई की कार्यवाही समाप्त की जावे, उपस्थित जनसमुदाय ने लोकसुनवाई समाप्त करने कहा। इस प्रकार अपर कलेक्टर द्वारा धन्यवाद के साथ लोकसुनवाई की कार्यवाही समाप्त की गई।

संपूर्ण लोकसुनवाई की विडियोग्राफी की गई। लोकसुनवाई के दौरान लिखित अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुये हैं।

अपर कलेक्टर
जिला रायपुर (छ.ग.)